शोध मंथन, Impact Factor 5.463 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X,
Vol. 9, Issue 3, pp (163-169), Month: Sep. 2018

डॉ0 लोहिया एवं डॉ0 अम्बेडकर की दृष्टि में भारत विभाजन

डॉ0 मनोज कुमार,
ग्राम+पो0–पीरापुर मथुरा, भाया–भगवानपुर, जिला–वैशाली, बिहार, भारत
Email : drmanojkumar212@gmail.com

सारांश

डॉ0 लोहिया एवं डॉ0 अम्बेडकर अलग–अलग सामाजिक परिवेश से आए थे। डॉ0 लोहिया जन्म से पिछड़े थे एवं डॉ0 अम्बेडकर जन्म से अस्पृश्य थे। लोहिया को अपने आरंभिक जीवन में किसी तरह के आर्थिक अभाव और सामाजिक कलंक का सामना नहीं करना पड़ा था। अम्बेडकर अभावों और अस्पृश्यता के साथ जुड़े कलंक से जुझते हुए ही पले–बढ़े थे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर ऊँचे पदों पर पहुँच जाने पर भी उन्हें पग–पग पर सवर्ण मातहतों तक के हाथों अपमान सहना पड़ता था। एक अस्पृश्य होने के फलस्वरूप अम्बेडकर को जो अन्याय सहने पड़े निश्चित रूप से लोहिया इन कुरीतियों से बचे रहे।

मुख्य शब्द –*विभाजन, देश, अम्बेडकर लोहिया, भारत, पकिस्तान, सीमा, हिन्दु, मुसलमान, राष्ट्र, अल्पसंख्यक, मुसलिम लीग इत्यादि।*

प्रस्तावना

डॉ0 लोहिया एवं डॉ0 अम्बेडकर दोनों ने भारत में फैली असमानता, कुरीतियों के विरूद्ध संघर्ष किया। दोनों ने भारत को स्वाधीनता दिलाने में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। लोहिया ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के साथ भारत को स्वतंत्रता दिलाना अपना प्रमुख लक्ष्य रखा तो दूसरी ओर अम्बेडकर ने जातिप्रथा को समाप्त करना अपना सर्वप्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया भले ही आजादी देर–सवेर ही मिले। अम्बेडकर का सारा जीवन दलितोंद्वार के लिए समर्पित था तो दूसरी तरफ लोहिया ने पिछड़ेवाद को बढ़ावा दिया। इन दोनों व्यक्ति ने सामूहिक रूप से दबें, कुचले लोगों के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन डॉ0 राम मनोहर लोहिया एवं डॉ0 भीमराव अम्बेडकर को इन सबों से बढ़कर सबसे बड़ा दंश 'भारत विभाजन' के रूप में सामने आया।

देश के लिए भारत–पाकिस्तान विभाजन एक बहुत बड़ी ऐतिहासीक घटना थी। राजनीति के गलियारों में आज भी इसकी अनुगूँज स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती हैं। भारत विभाजन का प्रस्ताव जब पारित हुआ इस वक्त भारत के कई शीर्षस्थ नेता सक्रिय थे। यही वह समय था जब समाजवादियों का एक दल अपनी विचारधारा से शीर्षस्थ नेताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। जिसमें डॉ0 राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण आदि प्रमुख थे। डॉ0 लोहिया भारत विभाजन की त्रासदी के साक्षी थे विभाजन के विरोधी रहे लोहिया के स्वर

को नेहरू पटेल जैसे कॉंग्रेसी नेताओं ने दवा दिया। इसके बावजूद लोहिया ने अखण्ड भारत था भारत–पाक महासंघ का मुद्दा जीवित रखा। यह विषय कब अविषय बन गया इसकी जानकारी लोहिया को भी नहीं हुई। गाँधी के प्रति समर्पित लोहिया बँटते भारत को देखकर खामोश रहे, परन्तु गाँधी का मौन उनकी समझ से परे था लोहिया जिस वक्त सक्रिय राजनीति में प्रवेश करते हैं उस समय तक विभाजन का मसौदा तैयार हो चुका था। भारतीयों का एक वर्ग ऐसा भी था जो शीर्षस्थ कॉंग्रेसी नेताओं के विचार से सहमत नहीं था।

उल्लेखनीय बात यह हैं कि पास्किातान की मांग का विवेचन करते हुए अम्बेडकर मुसलमानों के बारे में कमोबेश वहीं दलीले देते हैं, जो हिन्दुत्ववादी देते रहे हैं। पाकिस्तान की माँग के विरोध में एक तर्क यह भी दिया जा रहा था कि बँटवारा होने से भारत की प्राकृतिक सीमा पाकिस्तान में चली जाएगी। इससे देश की सुरक्षा संकट में पड़ जाएगी। डॉ0 अम्बेडकर इस तर्क से सहमत नहीं थे। उनका तो यह मत था कि प्राकृतिक सीमा के न रहने से भारत को कोई खास बड़ी क्षति नही होगी। उन्होंने लिखा– ''किसी एक सीमा को सबसे सुरक्षित मानना कतई उपयोगी नहीं हैं। इसका सीधा कारण यह हैं कि भौगोलिक परिस्थितियाँ अब निर्णायक नहीं रह गई है। तकनीकी विकास से नदी पर्वत और जल–विभाजन जैसी परंपरागत कसौटियों का महत्व अब काफी कम हो गया है। उनकी यह भी कल्पना थी कि विभाजन के बाद दोनों भारत और पाकिस्तान में शांति पूर्ण संबंध रहेंगे। किन्तु इन दोनों देशों का पिछले पचास वर्षो का इतिहास पारस्परिक, संघर्ष सांप्रदायिक अशांति और तीन युद्धों का रहा है। इसके जबाव में यह कहा जा सकता है कि देश विभाजन के पहले और बाद में फूटे सांप्रदायिक हिंसा के ज्वालामुखी के लिए कॉंग्रेस का नेतृत्व जिम्मेदार हैं। उसने पहले तो बटबारे का विरोध किया और बाद में स्वीकार कर लिया।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया एवं डॉ0 भीमराव अम्बेडकर भारतीय राजनीति के दो ऐसे महान् शख्सियत हैं जिनसे लम्बे समय तक भारतीय पीढ़ी प्रेरणा लेती रहेगी। दोनों को देशभक्ति समाजसेवा तथा देश–समाज परिवर्तन की शक्तियों को आगे बढ़ाने में अतुलनीय योगदान को सदैव याद किया जायेगा। दोनों ने अपने–अपने ढंग से भारत की राजनीति, सामाजिक चेतना और राजनीतिक विकास को गंभीरता से प्रभावित किया। दोनों ने (डॉ0 लोहिया एवं डॉ0 अम्बेडकर) अस्पृश्यता एवं जाति प्रथा को भारतीय समाज–व्यवस्था का महारोग माना और उसे गिराने के लिए संकल्पपूर्वक प्रयत्न किए। डॉ0 लोहिया ने न वर्ण–व्यवस्था की वकालत की और न जाति प्रथा की। वे वर्ण और जाति को एक मानकर चलते थे। उनका मानना था कि इन दोनों का अस्तित्व जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक समाज और राज्य का विकास अवरूद्ध ही रहेगा। डॉ0 अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था तथा जाति प्रथा को गंभीरता से अध्ययन किया। उन्होंने गाँधी से भी कहा था कि ''हमें मंदिर–प्रवेश के आन्दोलन में हिस्सा लेने के बजाय चातुर्वर्ण्य को समाप्त करने पर जोर देना आवश्यक लगता है। दरअसल लोहियाः गाँधी और अम्बेडकर के बीच सेतु को काम करते थे। वे स्वतंत्रता संग्राम की तरह जाति व्यवस्था के विरूद्ध संग्राम को भी जरूरी मानते थे। वे देश भक्ति के साथ–साथ सामाजिक न्याय के बड़े समर्थक थे। उनका सपना

वर्ग–विहिन समाज का था। जहाँ मनुष्य इतिहास के उत्थान और पतन के चक्र से सर्वथा मुक्त हो, एक ऐसे विश्व का गठन कर सकें। जहाँ जात–पात, लिंग तथा राष्ट्र में गैर–बराबरी का कोई स्थान न हो।[1] आजादी के सात दशक बाद भी हिन्दुस्तान में जाति, धर्म की सियासत हो रही है। जिन नेताओं पर समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी होती है आज अगर लोहिया और अम्बेडकर होते तो मौजूदा दौर को देखकर यही सोच रहे होते कि उन्होनें ऐसे राष्ट्र की कल्पना तो कभी नहीं की होती । जिसमें विभाजन की स्पष्ट रूप रेखा खिंची गई हैं। इससे भी बढ़कर देश में विभाजन के रूप में दो राष्ट्रों का निर्माण।

लोहिया एवं अम्बेडकर और भारत विभाजनः–

भारत का विभाजन एक दुखद घटना थी। भारत लम्बे संघर्ष के बाद स्वाधीन हुआ था। किन्तु दुर्भाग्यवश स्वतंत्र होने से पहले ही भारत का विभाजन हो गया और विश्व के रंगमंच पर पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र का उदय हुआ। किन्तु पाकिस्तान का निर्माण और भारत विभाजन पर उस समय के नेताओं में एकमत का अभाव था। मात्र कुछेक नेता ऐसे थे जो भारत विभाजन के पक्षघर थे। उनकी अलग मंशा थी, उनका स्वार्थ अलग था। भारत विभाजन में सबसे बड़ी भूमिका मुस्लिम लीग की थी। किन्तु कुछ ऐसे नेताओं ने भी भारत विभाजन को स्वीकार किया जो मुस्लिम लीग के अंग नहीं थे। प्रस्तुत लेख में हम भारत विभाजन पर डॉ0 लोहिया एवं डॉ0 अम्बेडकर के विचार को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया हैं। जहाँ तक देश की अवधरणा का संबंध हैं तो गाँधी और अम्बेडकर दोनों में यहाँ पर साम्य दिखलाई देता हैं।

निस्संदेह ''थौट्स ऑन पाकिस्तान' अपने ढंग की अलग पुस्तक थी। डॉ0 अम्बेडकर की यह पुस्तक एक अन्य दृष्टि से भी महात्वपूर्ण मानी जा सकती है। आरंभ में ही अम्बेडकर जनतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों, उनकी अलग पहचान को लेकर चिंचित थे। उनका आग्रह था कि जनतंत्र में अल्पसंख्यकों को न केवल समान अवसर प्राप्त हो, बल्कि सत्ता में भी उनकों भागीदारी मिले। यद्यपि यरवदा समझौते में वे अछुत उम्मीदवारों के अछुत मतदाताओं द्वारा प्रारंभिक चुनाव की व्यवस्था के साथ संयुक्त निर्वाचक मंडल के लिए सहमत हो गए थे, किन्तु 1937 के चुनाव नतीजों को देखकर उनकों यह व्यवस्था अपर्याप्त लगने लगी थी और फिर वे अछुतों के लिए पृथक् निर्वाचक मंडल की मांग करने लगे थे।[2]

लोहिया की दृष्टि में भारत विभाजनः–

भारत पाकिस्तान विभाजन एक बहुत ही भयावह एवं बड़ी घटना थी। राजनीति के गलियारों में आज भी इसकी अनुगूँज सुनी जा सकती है। विभाजन का प्रस्ताव जब तक पारित हुआ उस वक्त भारत के कई शीर्षस्थ नेता सक्रिय थे। यही वह समय था जब समाजवादियों का एक दल अपनी विचारधारा से शीर्षस्थ नेताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, जिसमें डॉ0 राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण आदि प्रमुख थे। लोहिया विभाजन की त्रासदी के साक्षी थे। विभाजन के विरोध में लोहिया के स्वर को नेहरू, पटेल जैसे कॉंग्रेसी नेताओं ने दबा दिया। इसके बावजूद लोहिया ने अखण्ड भारत या भारत–पाक महासंघ का मुदा जीवित रखा। यह विषय कब अविषय बन गया इसकी जानकारी लोहिया को भी नहीं हुई। ''गाँधी के

प्रति समर्पित लोहिया बँटते भारत को देखकर खामोश रहे परंतु गाँधी का मौन उनकी समझ से परे था। लोहिया जिस समय सक्रिय राजनीति में प्रवेश करते हैं उस समय तक विभाजन का मसौदा तैयार हो चुका था। केवल अंतिम निर्णय लिया जाना शेष रह गया था। विभाजन पर जो भी विचार सामने आ रहे थे वह मुल्तः नेहरू और पटेल के विचार थे। इसी कारण से युवा लोहिया के विचार 'नेहरू विरोध' की विचारधारा के रूप में सामने आने लगी।[3] भारतीय जनमानस का एक तबका भले ही नेहरू के विचारों से सहमत हो परन्तु श्रमशील भारतीय का एक वर्ग ऐसा भी था जो शीर्षस्थ काँग्रेसी नेताओं के विचार से सहमत नहीं था। डॉ0 लोहिया समाजवाद को तब अपनाते हैं जब इसे अपनाने से अच्छे–अच्छे नेता डरा करते थे। वे विभाजन के मुद्दे को भी इसी दृष्टिकोण से सुलझाना चाहते थे।[4]

वास्तव में भारत विभाजन के पृष्ठभूमि मध्यकाल में बन चुकी थी। तुर्क, अफगान और मुगलों का शासन आने के साथ नयी सभ्यता, संस्कृति लाया गया, जिसका सामंजस्थ भारतीय सभ्यता, संस्कृति से बैठाना कठिन काम था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी का भारत आगमन एक बहुत बड़ी घटना थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भारत को मुक्त कराने का पहला एवं महत्वपूर्ण संघर्ष 1857 का विद्रोह था, जिसमें हिन्दू और मुसलमानों ने एकवद्ध होकर हिस्सा लिया। विद्रोह के अंसफल हो जाने से अंग्रेजों की फूट डालों, राज करो की नीति के कारण हिन्दू–मुस्लिम के बीच फासले बढ़ते चले गए। देखते–देखते परिस्थितियाँ ऐसी बनती चली गई जिसमें साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रख पाना बहुत कठिन हो गया था। डॉ0 लोहिया कहते है जाति प्रथा का नाश करने और समता कायम करने के इरादे से अगल हिन्दु और मुसलमान की पिछड़ी जातियों को प्रोत्साहन दिया जाता और अगर राष्ट्रीय आंदोलन, कम से कम असंहस के जमाने से इस नीति पर सलीके से अमल करता तो भारत विभाजन न होता।[5] ''लोहिया की दृष्टि में आजादी के लिए संघर्श कर रहे नेताओं में खासकर अम्बेडकर, राजगोपालाचारी जैसे नेता विभाजन को सही मानते थे। ये नेता उन नेताओं से ठीक थे, जो मुखौटा पहन कर भारत को बाँट रहे थे। लोहिया जैसे समाजवादी नेता इस खेल को समझ रहे थे परंतु वे खामोश थे। काँग्रेस कार्यसमिति की उस बैठक में डॉ0 लोहिया उपस्थित थे, जिसमें बँटवारे का स्वीकृति दी गयी थी। इस बैठक में जयप्रकाश नारायण भी उपस्थित थे। महात्मा गाँधी, खान अब्दुल गफ्फार खाँ, जयप्रकाश नारायण और लोहिया के अलावे किसी ने विभाजन की योजना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला।[6] इस पर अब कहने की आवश्यकता नहीं हैं कि भारत विभजन के पीछे कौन अपना मतलब साध रहा था। प्रगतिशील भारत की तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए जो तथ्य, आँकड़े एवं विचारो के अम्बार प्रस्तुत किये जाते हैं ये कितने सही है इसकी पड़ताल हमें ही करनी होगी। सामाजिक संरचना को अपने निर्भित विचारों से दुरूस्त करने वाले लोहिया ने एक आम आदमी की भाँति विभाजन के दर्द को भी भोगा था।[7]

डॉ0 लोहिया सच्चाई के प्रति समर्पित असल योद्धा थे। बहुत कुछ कबीर की तरह। जो कह दिया सो कह दिया अब किसी को बुरा ले तो लगे। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता उनके फक्कड़ होने में थी। लोहिया इन दोनों गुणों से अलग नहीं थे। अपने राजनैतिक विचारों से भले

ही अकेले हों परन्तु डरने वालों में से न थे। इसी कारण से आजाद भारत में विपक्षी संसद सदस्य बनना स्वीकार किया। आडम्बर, चापलूसी से कोसों दूर रहने वाले लोहिया विभाजन पर दो टूक कहते हैं, ''इस प्रकार देश के बंटवारे की पूरी जिम्मेदारी किसी एक आदमी पर कही जा सकती हैं। तो वे हैं पंडित जवाहर लाल नेहरू।[8]

अम्बेडकर की दृष्टि में भारत विभाजनः–

सन् 1940 में मुस्लिम लीगने लाहौर में पाकिस्तान के संबंध में प्रस्ताव पास किया। उस समय संपूर्ण भारत वर्ष में एक अलग सी हलचल होने लगी। विभिन्न नेताओं ने भिन्न–भिन्न प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की। तभी डॉ0 अम्बेडकर ने ''पाकिस्तान या भारत का बँटवारा'' नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी जिसका उन्होंने 1946 में प्रकाशन कराया। इस पुस्तक में हिन्दू–मुस्लिम के विवाद का गहराई से अध्ययन झलकता हैं। उन्होंने संपूर्ण भारतीय इतिहास की विवेचना कर डाली। उस समय पाकिस्तान की माँग परलीग की काफी आलोचना हो रही थी। डॉ0 अम्बेडकर ऐसा नहीं मानते थे। उनके अनुसार मुस्लिम जन–जीवन में जिस तरह की जीव ग्रंथियाँ घर कर गयी हैं यह प्रस्ताव उसी का प्रकटीकरण हैं। हिन्दु और मुसलमान में अस्तित्व की रक्षा का संघर्ष हैं। मैं पाकिस्तान की माँग से आहत नहीं हूँ मैं इसके बारे में क्षमाशील भी नहीं हूँ। इस मांग को जोर से दबाया भी नहीं जा सकता हैं। हिन्दूओं को यह सोचना बन्द करना चाहिए कि अंग्रेजी ताकत से पाकिस्तान की मांग को दबा देंगे। मुसलमानों को उत्पीड़क कार्यवाई से नहीं दबाया जा सकता है और न ही अंग्रेज ऐसा करने वाले हैं। भारत के कई टुकड़े हो जायें इसमें अंग्रेजों को क्या हानि है।[9] मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन 23 मार्च, 1940 में पाकिस्तान की स्थापना की माँग की थी। जो कुछ ही समय बाद (दिसम्बर 1940 के अंत में) डॉ0 अम्बेडकर की पुस्तक 'थॉट्स ऑन पाकिस्तान' प्रकाशित हुई। वास्तव में अम्बेडकर ने पाकिस्तान की माँग के समर्थकों और विरोधियों, दोनों की ही दलीलों की गहराई से छानबीन करते हुए लिखा कि ''पाकिस्तान के विचार में ऐसी कोई बात नहीं हैं, जिसपर उसे उठाई जा सके''। पुस्तक का परिचय में ही अम्बेडकर ने अपना मत स्पष्ट करते हुए लिखा– ''मैं यह नहीं मानता की पाकिस्तान की माँग केवल राजनीतिक अव्वल की परिणति हैं, जो समय के प्रवाह के साथ बह जाएगी।'' उन्होंने बेहिचक लिखा ''आज की परिस्थिति को देखकर तो मुझे यह लगता है कि मुस्लिम राजनीति तंत्र में यह मांग जैविक विशेषता की तरह से विकसित हो गई है।[10]

पाकिस्तान की मांग का समर्थन करते हुए डॉ0 अम्बेडकर ने लिखा कि वे इस माँग से नहीं घवराते। न ही वे इसे लेकर विक्षुब्ध हैं। उन्होंने यह स्पष्टतया कहा कि ''मैं यह भी नहीं मानता कि यह माँग उपमाओं और रूढ़ियों से नष्ट की जा सकती हैं। ''थॉट्स ऑन पाकिस्तान' में भी उनका निशाना बहुत हद तक हिन्दू राष्ट्रवादियों पर है, जो यह मानकर चलते हैं कि भारत एक राष्ट्र हैं। अम्बेडकर स्वयं इस विचार से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि हिन्दू और मुसलमान दोनों ही अपने धार्मिक अतीत से बुरी तरह से बंधे हुए हैं। दोनों ही भूलने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसा भी नहीं लगता कि वे भविष्य में अपने ऐतिहासिक अतीत को भूल सकेंगे। इसलिए भारत को एक राष्ट्र मानना गलत है। अम्बेडकर के अनुसार, ''मुसलमान एक अलग राष्ट्र हैं,

क्योंकि वे अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना चाहते हैं और अपने लिए 'आत्म निर्णय' का अधिकार माँग रहे हैं। फिलहाल मान ले कि अनेक समुदायों, सांस्कृति, विविधताओं वाले और बहुभाषी देश की एकता के लिए यह सिद्धांत सही है, किन्तु इसके आधार पर भी मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की माँग का औचित्य सिद्ध नहीं होता।[11] पाकिस्तान को अपरिहाये मानकर उसका समर्थन करते हुए अम्बेडकर एक महत्वपूर्ण बात भूल गए। दलितों के लिए पृथक् निर्वाचक मंडल की माँग करते समय उन्होंने तर्क दिया था कि जब तक मुसलमान संयुक्त निर्वाचक मंडल में थे तब तक उनके साथ चुनाव समझौता करके अनेक दलित चुनाव जीतकर विद्यानमंडल में पहुँचने में सफल हो जाते थे, किन्तु मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनने से शेष निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बहुत कम हो गई है। इन क्षेत्रों में हिन्दू उम्मीदवारों से प्रतिस्पर्धा करके दलित उम्मीदवार का चुनाव जीतना असंभव जैसा हो जाएगा। किन्तु अब तो मुसलमानों के लिए पृथक देश ही माँगा जा रहा था। आश्चर्य है कि अम्बेडकर इस मांग का विरोध करने के बजाये समर्थन कर रहे थे। यह समर्थन मुसलमानों या दलितों के अधिकारों और उनके उन्नत भविष्य की भावना से प्रेरित नहीं, बल्कि 'हिन्दू राज को महाआपत्ति' मानने की अवधारण का प्रतिफल था।[12]

अम्बेडकर पाकिस्तान संबंधी अपने सोच की इस कमी को स्वयं अनुभव करने लगे थे। इसलिए 'थॉट्स ऑन पाकिस्तान' के नए संस्करण में उन्होने देश के बँटवारे की माँग करने वालों को पाकिस्तान बनने से पैदा होने वाली समस्याओं की जानकारी देना उचित समझा। इतना ही नहीं उन्होंने देश का विभाजन करके पाकिस्तान बनाने के बजाय एक वैकल्पिक योजना भी पेश की। लेकिन तब तक पाकिस्तान मुसलमानों के लिए भावना का प्रश्न बन गया था। अम्बेडकर का मत था कि भारत में मुस्लिम समुदाय इतना बड़ा है कि उसे आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना ही चाहिए। अगर वे हिन्दुओं के साथ नहीं रहना चाहते तो उनको जबरन साथ रखना गलत हैं। अम्बेडकर की शिकायत थी कि काँग्रेस ने पाकिस्तान की माँग के भावनात्मक प्रश्न की उपेक्षा की। हम कह सकते हैं कि परिस्थितियाँ चाहे जो भी रही हो अम्बेडकर ने भारत विभाजन को स्वीकार किया और उसका समर्थन किया। डॉ0 अम्बेडकर विधि विशेषज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे, इतिहास विवेचक थे, धर्म और दर्शन के विद्वान थे। उन्होनें अपने लेखन में अनेक ऐसे सूत्र दिए हैं जिनके आधार पर भारतीय इतिहास को हम पूँजीवादी विवेचकों के दुष्प्रभाव से मुक्त कर सकते हैं।[13] अतः हम कह सकते है कि डॉ0 लोहिया एवं डॉ0 अम्बेडकर के विचार अपनी–अपनी जगह पर ठीक है उनका तर्क भी तार्किक है। किन्तु हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो पाते है कि डॉ0 लोहिया के विचार अधिक प्रासंगिक है वनिस्पत डॉ0 अम्बेडकर के। आज देश में सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर न सिर्फ जोर दिया जा रहा है बल्कि अधिकांश राज्यों में स्थानीय स्वशासन काफी सरल भी रहा हैं। डॉ0 लोहिया एवं डॉ0 अम्बेडकर दोनों सामाजिक परिवर्तन चाहते थे ओर इसके लिए दोनों आजीवन प्रयासरत रहे। डॉ0 लोहिया का सारा ध्यान दलित सहित पिछड़ों के उत्थान में ला रहा जबकि डॉ0 अम्बेडकर ने दलितों को समाज की मुख्यधारा में लाना था और इसके लिए दोनों आजीवन प्रयासरत रहे। किन्तु दोनों की कार्यशैली में स्पष्ट अंतर झलकता है।

निष्कर्ष

यदि हम दोनों महान् व्यक्तियों के दर्शन, विचारों पर गंभीरता से विचार करें तो लागेगा कि लोहिया की मौलिकता इस बात में हैं कि वे अधिक व्यवहारिक बने रहे, पिछड़ों एवं बंचितों के मन में बैठकर उसका अध्ययन करते रहे। अम्बेडकर ने अपने को अस्पृश्यों के नेता एवं प्रवक्ता के रूप में ही ढ़ाला और स्थापित किया। उनका विश्वास था कि सिर्फ अस्पृश्य ही अस्पृश्यों का नेतृत्व कर सकता है। हालांकि वे संकुचित विचारधारा से हमेशा बचे रहे। इस संदर्भ में भारत का संविधान श्रेष्ठ उदाहरण है। साथ ही भारत का विभाजन एक बहुत दुखद घटना थी। इस संदर्भ में इस बात पर ध्यान देना होगा कि उच्च कुलीन मुस्लिम चाहते थे कि विभाजन हो क्योंकि बंटे हुए पाकिस्तान में वे अपने पैर को मजबूती से जमा सकें। अतः अखण्ड भारत का नारा लगाने वालों ने भी देश के अंदर मुसलामान को हिन्दु के करीब लाने का कोई जरा सा भी काम नहीं किया। उन्होनें दोनों को एक दूसरे से अलग करने का करीब–करीब हर काम किया। इस तरह का अलगाव भारत का विभाजन की जड़ बना।

संदर्भ

1 प्रसाद डॉ0 नर्मदेश्वर, *जाति व्यवस्था,* राज कमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1965, पृ0 सं0–**24**

2 शर्मा डॉ0 राम विलास, *गाँधी अम्बेडकर और लोहिया भारतीय इतिहास की समस्या,* वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, 2008 पृ0 सं0–**272**

3 लोहिया डॉ0 राम मनोहर, *इतिहास चक्रः* लोक भारती प्रकाशन 15 ए महात्मा गाँधी मार्गइलाहाबाद, 1980, पृ0 सं0–**38**

4 लिमये मधु, *भारतीय राजनीति के अहन्तर्विरोध,* सारांश प्रकाशन प्राइवेट लि0 नई दिल्ली, 1997, पृ0 सं0–**193**

5 लोहिया डॉ0 राम मनोहर, *भारत विभाजन के गुनहगार,* लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2008, पृ0 सं0–**26**

6 शरद ओंकार, *लोहिया के विचार*, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1969 पृ0 सं0–**220**

7 *मार्क्स काले फ्रेडरिक एंगेल्स*, संकलित रचनाएँ, तीन खंडों में प्रगति प्रकाशन, मेरठ, उ0 प्र0, 1976, पृ0 सं0–**90**

8 सेन अमर्त्य, *आर्थिक विषमताएँ*, राजपाल एण्ड सन्स प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014 पृ0 सं0–**51–52**

9 अम्बेडकर बाबा साहेब, **डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज** खंड–5, महाराष्ट्र शासन शिक्षा विभाग बम्बई द्वारा प्रकाशित (सन् 1979–1997 ई0 तक) पृ0 सं0–**253**

10 डॉ0 धर्मवीर, *डॉ0 अम्बेडकर एवं दलित आन्दोलन*, शेष साहित्य प्रकाशन नई दिल्ली, 1998, पृ0 सं0–**87**

11 अम्बेडकर बाबा साहेब, ड*ॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज* खंड–3, महाराष्ट्र शासन शिक्षा विभाग बम्बई द्वारा प्रकाशित (सन् 1979–1997 ई0 तक) पृ0 सं0–**67**

12 शर्मा डॉ0 राम विलास, गाँधी, *अम्बेडकर और लोहिया भारतीय इतिहास की समस्या*, वाणी प्रकाशन दरियागंज, नई दिल्ली, 2008, पृ0 सं0–**189**

13 जावट डॉ0 डी0 आर0, *राष्ट्रीय आन्दोलन में डॉ0 अम्बेडकर की भूमिका*, समता साहित्य सदन, जयपुर, 1989 पृ0 सं0–**74**